उनवानः–रामकली बनाम तहसीलदार

0न0ः– 02/2024

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

तारीख रजूः– 09.02.2024

0न0 02/2024

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. रामकली पत्नि विजय कुमार मीना निवासी पहाडी तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी। (सायलान)

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम।

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी

उपस्थिति :– श्री लखन लाल मीना (प्रार्थीगण)

निर्णय दिनांकः– 28.06.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत पत्थर गढी का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पहाडी की आरजी ख0न0 2461 रकवा 0.40 है0 मे सायला खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी के लगवा ही गैरसायलान का लगवा आराजी ख0न0 2455 है जिसमे सायला व अप्रार्थीगणो के मध्य आये दिन डौल मेड पर विवाद बना रहता है। तथा आये दिन झगडा होता रहता है।

यह है कि सायला की खातेदारी आराजी ख0न0 2461/0.40, 2462/0.03, 2463/0.03, का सीमाज्ञान दिनांक 02.06.2023 को कर लिया गया है और सीमाओ पर निशानात कायम कर दिये गये है लेकिन अप्रार्थीगण सीमाज्ञान दिनांक 02.06.2023 की पालना नही कर रहे है, और ना ही उसको मान रहे है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतःप्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायला की आराजी ख0न0 2461/0.40 है0 स्थित ग्राम पहाडी की मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब पेश किया कि ग्राम पहाडी की आराजी ख0न0 2461, 2462 की खातेदारी रामकली पत्नि विजयसिंह मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है। एवं आराजी ख0न0 2463 रकवा 0.25 है0 मे रामकली पत्नि विजयसिंह 53/100 व देवीसिंह पुत्र रूपचन्द 47/100 व श्रीफल पुत्र रूपचन्द हिस्सा 47/100 जाति मीना दर्ज रिकार्ड है। यह है कि खातेदार रामकली पत्नि विजय सिंह व श्रीफल पुत्र रूपचन्द, देवीसिंह पुत्र रूपचन्द के नाम से सीमाज्ञान के आदेश नही करवाये गये है और नाही इनके नाम सीमाज्ञान करवाया गया है। इनसे पूर्व खातेदार रामखिलाडी पुत्र किशोरी द्वारा 02.06.2023 को मुताबिक आदेश सीमाज्ञान करवाया गया है। सायला रामकली पत्नि विजय सिंह जाति मीना के द्वारा किसी प्रकार का सीमाज्ञान आवेदन नही किया है और नाही सीमाज्ञान करवाया है। जिससे कि पत्थरगढी करवाई जावे भूमि मौके पर खाली है तथा ख[illegible] के रकवा 0.25 है0 मे से लगभग 0.12 है0 पर मकान व आबादी है। इसलिये प[illegible]गढी [illegible] जाना उचित नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:14 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी[illegible] वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम प[illegible] की आरजी ख0न0 2461 रकवा 0.40 है0 मे सायला खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी के लगवा ही गैरसायलान का लगवा आराजी ख0न0 2455 है जिसमे सायला व अप्रार्थीगणो

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

के मध्य आये दिन डौल मेड पर विवाद बना रहता है। सायला की खातेदारी आराजी ख0न0 2461/0.40, 2462/0.03, 2463/0.03, का सीमाज्ञान दिनांक 02.06.2023 को कर लिया गया है और सीमाओ पर निशानात कायम कर दिये गये है लेकिन अप्रार्थीगण सीमाज्ञान की पालना नही कर रहे है अतः आराजी ख0न0 2461/0.40 है0 स्थित ग्राम पहाडी की मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को प्रदान किये जावे।

अप्रार्थी वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम पहाडी की आराजी ख0न0 2461, 2462 की खातेदारी रामकली पत्नि विजयसिंह मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है। एवं आराजी ख0न0 2463 रकवा 0.25 है0 मे रामकली पत्नि विजयसिंह 53/100 व देवीसिंह पुत्र रूपचन्द 47/100 व श्रीफल पुत्र रूपचन्द हिस्सा 47/100 जाति मीना दर्ज रिकार्ड है। यह है कि खातेदार रामकली पत्नि विजय सिंह व श्रीफल पुत्र रूपचन्द, देवीसिंह पुत्र रूपचन्द के नाम से सीमाज्ञान के आदेश नही करवाये गये है और नाही इनके नाम सीमाज्ञान करवाया गया है। इनसे पूर्व खातेदार रामखिलाडी पुत्र किशोरी द्वारा 02.06.2023 को मुताबिक आदेश सीमाज्ञान करवाया गया है। सायला रामकली पत्नि विजय सिंह जाति मीना के द्वारा किसी प्रकार का सीमाज्ञान आवेदन नही किया है और नाही सीमाज्ञान करवाया है। जिससे कि पत्थरगढी करवाई जावे भूमि मौके पर खाली है तथा ख0न0 2463 के रकवा 0.25 है0 मे से लगभग 0.12 है0 पर मकान व आबादी है। इसलिये पत्थर गढी किया जाना संभव नही है।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली मे शामिल फर्द मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2076–79 मे ख0न0 2461/0.40, 2462/0.03 मे प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 02.06.2023 का अवलोकन किया जिसमे ग्राम ग्राम पहाडी की आराजी ख0न0 2461/0.40, 2462/0.03, 2463/0.25 है0 का सीमाज्ञान राजस्व कार्मिको की टीम के द्वारा पूर्व खातेदार रामखिलाडी पुत्र किशोरी की उपस्थिति मे करवाया गया है। सायला को यह प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व वर्णित आराजीयाता का स्वंय की उपस्थिति मे सीमाज्ञान करवाया जाना चाहिये था। अर्थात उक्त खसरा नम्बरान का सायला की उपस्थिति मे सीमाज्ञान नही करवाया गया है। इसलिये सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नही है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थर गढी स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:14 IST
Reason: SelfAttested